न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 70/2022 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री कुलदीप सिंह शेखावत पुत्र श्री बजरंग सिंह स्टोर मैनेजर मैसर्सः—रिलायंस रिटेल लि. प्लॉट नं. 1 बी खसरा नम्बर 1265 स्वास्तिक रेजीडेन्सी सैंथल मोड दौसा।
2. श्री नितिन मल्होत्रा पुत्र श्री दयाल दास मल्होत्रा नोमिनी रिलायंस रिटेल लि. प्लॉट नं. 1 बी खसरा नम्बर 1265 स्वास्तिक रेजीडेन्सी सैंथल मोड दौसा।
3. श्री सुरेश चन्द डंगायच पुत्र जगदीश नारायण एफ.बी.ओ मैसर्स एस.एस.डी. फूड्स एण्ड पेपरर्स प्रा. लि. एफ 134—135, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया ,बस्सी, जिला जयपुर।

— अभियुक्तगण—

(जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26की उपधारा 2(II)(V) एवं
दण्डनीय धारा 52 व 58 एफएसएस रूल्स 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 3 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 15.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग2(क) के क्रमांक 53 पर अंकितानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 2714 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.09.2022 को 12:39 PM पर मैसर्सः—रिलायन्स रिटेल लि. प्लॉट नम्बर 1 बी खसरा नम्बर 1265 स्वास्तिक रेजीडेन्सी सैंथल मोड दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री कुलदीप सिंह शेखावत पुत्र श्री बजरंग सिंह को अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर श्री कुलदीप सिंह शेखावत ने स्वयं को मैसर्सः— रिलायन्स रिटेल लि. प्लॉट नम्बर 1 बी खसरा नम्बर 1265 स्वास्तिक रेजीडेन्सी सैंथल मोड दौसा का स्टोर मैनेजर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री कुलदीप सिंह शेखावत की उपस्थिति में मैसर्सः—रिलायन्स रिटेल लि. प्लॉट नम्बर 1 बी खसरा नम्बर 1265 स्वास्तिक रेजीडेन्सी सैंथल मोड दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि ब्राण्डेड खाद्य पदार्थो के साथ मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) 500—500 ग्राम के 50 पैकेट एक रैक में रखे हुये थे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने पर विक्रेता श्री कुलदीप सिंह शेखावत को को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये श्री कुलदीप सिंह शेखावत व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री कुलदीप सिंह शेखावत को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रैक में से 500–500 ग्राम के 50 पैकेट में से नियमानुसार 500–500 ग्राम के चार पैकेट साफ प्रिन्टेड मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री कुलदीप सिंह शेखावत को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 2 किलोग्राम मैदा अमृत ब्राण्ड के 95 / –(अक्षरे पिच्यानवे रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 ग्राम चार नग कुल 2 किलोग्राम मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) को श्री कुलदीप सिंह शेखावत एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खाद्य पदार्थ को 500–500 ग्राम को बराबर–बराबर अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी–3059 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर श्री कुलदीप सिंह शेखावत तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी–3059 को चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री कुलदीप सिंह शेखावत ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 24.09.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 702 / एक्ट / 2022 / 702 दिनांक 4.10.2022 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता श्री कुलदीप सिंह शेखावत से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) एफएसएसए की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (MisBranded) एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनियम 2.5(10)(b) of Labelling & Regulation 2020 के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन (Contravene) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 3 न्यायालय में नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित आये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./702/एक्ट/2022/702 दिनांक 4.10.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) मिथ्याछाप (MisBranded) व कान्ट्रावेन (Contravene) स्तर का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया की खाद्य पदार्थ के प्रिन्टेड पॉली पैक पाउच पर कम्पनी का प्रिन्टेड पेपर स्टीकर चिपकाया जाता है जिसे पैकेट से हटाया जा सकता है एवं दूसरा प्रिन्टेड पेपर स्टीकर कभी भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार से यह खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनियम 2.4(6) of (Labelling & Display) Regulation 2020 के अनुसार कान्ट्रावेन (Contravene) स्तर का पाया गया है। जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन होने के कारण मिथ्याछाप (MisBranded) है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने खाद्य पदार्थ मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) को मिथ्याछाप व कान्ट्रावेन (Contravene) का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II)(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 में वर्णित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी अभियुक्तगण को उचित जुर्माने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 3 नियत पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित आये एवं बहस के दौरान निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) कम्पनी के प्रिन्टेड पॉली पैक पाउच पर प्रिन्टेड पेपर स्टीकर चिपकाया जाता है जिसे पैकेट से पूरी तरह एक बार चिपकाने पर पूर्णरूपेण नहीं हटाया जा सकता है। एक बार प्रिन्टेड पॉली पैक पाउच पर पर प्रिन्टेड पेपर स्टीकर चिपका दिया जाता है तो उसे हटाकर दूसरा प्रिन्टेड स्टीकर नहीं चिपकाया जा सकता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं पाई गई है। सिर्फ प्रिन्टेड पॉली पैक पाउच पर प्रिन्टेड पेपर स्टीकर चिपकाया जाने के कारण ही जांच रिपोर्ट में यह खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (MisBranded) (Contravention) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण सं. 1 व 3 द्वारा प्रकरण को खारिज किया जाकर अभियुक्तगण को दोष मुक्त करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./702/एक्ट/2022/702 दिनांक 4.10.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनियम 2.4(6) of (Labelling & Display) Regulation 2020 के अनुसार कान्ट्रावेंशन (Contravention) स्तर का एवं एफएसएसए 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन होने के कारण मिथ्याछाप (MisBranded) पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II)(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ मैदा अमृत ब्राण्ड (Maida Amrit Brand) मिसब्राण्ड एवं कान्ट्रावेंशन (Contravention) स्तर का बनाकर विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री कुलदीप सिंह शेखावत पुत्र श्री बजरंग सिंह स्टोर मैनेजर मैसर्सः—रिलायंस रिटेल लि. प्लॉट नं. 1 बी खसरा नम्बर 1265 स्वास्तिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 70 / 2022 FSSA

रेजीडेन्सी सैंथल मोड दौसा, अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री नितिन मल्होत्रा पुत्र श्री दयाल दास मल्होत्रा नोमिनी रिलायंस रिटेल लि. प्लॉट नं. 1 बी खसरा नम्बर 1265 स्वास्तिक रेजीडेन्सी सैंथल मोड दौसा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 श्री सुरेश चन्द डंगायच पुत्र जगदीश नारायण एफ.बी.ओ मैसर्स एस.एस.डी. फूड्स एण्ड पेपरर्स प्रा. लि.एफ 134—135, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया ,बस्सी, जिला जयपुर पर 15000/— (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 15.02.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA/ दिनांकः— 15.02.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कुलदीप सिंह शेखावत पुत्र श्री बजरंग सिंह स्टोर मैनेजर मैसर्सः—रिलायंस रिटेल लि. प्लॉट नं. 1 बी खसरा नम्बर 1265 स्वास्तिक रेजीडेन्सी सैंथल मोड दौसा।
4. श्री नितिन मल्होत्रा पुत्र श्री दयाल दास मल्होत्रा नोमिनी रिलायंस रिटेल लि. प्लॉट नं. 1 बी खसरा नम्बर 1265 स्वास्तिक रेजीडेन्सी सैंथल मोड दौसा।
5. श्री सुरेश चन्द डंगायच पुत्र जगदीश नारायण एफ.बी.ओ मैसर्स एस.एस.डी. फूड्स एण्ड पेपरर्स प्रा. लि. एफ 134—135, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया ,बस्सी, जिला जयपुर।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा